तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27.10.2021	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 22 नियम 9 एवं धारा 151 जा0दी0 पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि उपरोक्त उनवानी अपील न्यायालय श्रीमान् में विचाराधीन थी। जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 30.01.2019 को यह कहते हुये एवेट कर दिया गया कि अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 13 रामफल उर्फ रामरूप पुत्र खूबीराम जाति मीना निवासी नगला सीर तहसील भरतपुर के वारिसान को समुचित समय में रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये अपील एवेट हो चुकी है; खारिज की जाती है। यह है कि उक्त रैस्पो0 संख्या 13 रामफल उर्फ रामरूप आदिनांक तक जीवित है। गॉव के निवासीयान द्वारा तामील कुनन्दा को गलत रिपोर्ट दी गयी थी। प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं रामफल उर्फ रामरूप अपने आधार कार्ड के साथ उपस्थित हैं। अतः आदेश दिनांक 30.01.2019 (एवेटमेंट) को निरस्त करते हुये, अपील का मैरिट पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। रैस्पो0 के अभिभाषक ने जवाबी बहस में अपीलाण्ट के तर्को पर सहमति जताई जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा से मूल अपील पत्रावली में रैस्पो0 संख्या 13 की तलवी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 भेजी गयी थी। उक्त रजिस्टर्ड ए0डी0 पर रैस्पो0 संख्या 13 का फौत होना अंकित होकर न्यायालय को वापस प्राप्त हुयी। जिस पर अपीलाण्ट को रैस्पो0 संख्या 13 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का उचित समय दिया गया था। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा नियमानुसार सही समय पर कार्यवाही, कायम मुकाम नहीं करने पर, अपील अपीलाण्ट दिनांक 30.01.2019 से जरिये एवेट में खारिज की गयी। वर्तमान में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ रैस्पो0 संख्या 13 को उनके पहचान पत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित किया है। हमने गौर किया। पूर्व में अपील रैस्पो0 संख्या 13 के फौत होने पर, उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं करने के कारण जरिये एवेट खारिज की गयी है। जबकि रैस्पो0 संख्या 13 आदिनांक तक जीवित है। पक्षकार न्याय की अनुभूति से वंचित ना हो अतः हम प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 स्वीकार योग्य पाते हैं। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 22 नियम 9 एवं धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर, मूल अपील नम्बर पर ली जाती है। मूल अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। 27-10-2021 (अखिलेश कुमार पिपल) कार्या0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	